By Speed Post

3142

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

Government of India

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

National Commission for Scheduled Tribes

(A Constitutional body set up under Article 338A of the Constitution of India)

6th floor, 'B' Wing, LoknayakBhawan
Khan Market, New Delhi-110 003.

File No. SD/6/2018/MRLY1/SEOTH/RU-I

Dated:11/12/2019

To,

1. The Chairman
Railway Board,
Railway Bhawan,
Rafi Marg, New Delhi-110001

2. The General Manager,
Eastern Railway ,
7, Netaji Subhash Road,
Kolkata -700001.

Sub: Representation dated 23/04/2018 received from Smt. Sahodri Devi, W/o Late Shri Chandra Mandal, Ex - Cook / Station Manager, Sahibganj (Jharkhand) regarding compassionate appointment to her daughter.

Sir,

I am directed to refer to the subject cited above and to enclosed copy of minutes of Sitting held in the National Commission for Scheduled Tribes on 19/11/2019 at 02:00 P.M under the Chairmanship of Shri H.C Vasava, Hon'ble Member, National Commission for Scheduled Tribes in the matter.

It is, requested that action taken on the suggestions / recommendations of the sitting may please be sent to the NCST at the earliest.

Encl: As above.

Yours faithfully,

(Rajeshwar Kumar)
Assistant Director
Tel: 011-24641640.

Copy to:

श्रीमती सहोद्री देवी, पत्नी स्व: चंदा मण्डल,
ग्राम- केलाबाड़ी पोखरिया,
पोस्ट एवं ज़िला- साहेबगंज,
(झारखंड)- 816109
(Mob: 8757179978)

Copy for information to:

1. PS to Hon'ble Member (HCV), NCST
2. NIC (please upload on the Commission's website and also send the e-mail to concerned)

भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

फाईल संख्या SD/6/2018/MRLY1/SEOTH/RU-I

श्रीमती सहोद्री देवी पत्नी स्व0 चन्द्रामण्डल (भूतपूर्व कुक/स्टेशन प्रबंधक, साहेबगंज), ग्राम केलावाड़ी, पोखरिया, पोस्ट एवं जिला साहेबगंज (झारखण्ड) द्वारा अपनी तलाकशुदा बेटी बियासी देवी को अनुकंपा के आधार पर नौकरी से रेल प्रशासन द्वारा वंचित करने के संबंध में, माननीय सदस्य श्री एच.सी. वसावा की अध्यक्षता में दिनांक 19.11.2019 को 2:00 बजे आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थित प्रतिभागियों की सूची संलग्नक में है।

श्रीमती सहोद्री देवी पत्नी स्व0 चन्द्रामण्डल (भूतपूर्व कुक/स्टेशन प्रबंधक, साहेबगंज), ग्राम केलावाड़ी, पोखरिया, पोस्ट एवं जिला साहेबगंज (झारखण्ड) ने अपने अभ्यावेदन दिनांक 23.04.2018 द्वारा अपना तलाकशुदा बेटी बियासी देवी को अनुकंपा के आधार पर नौकरी से रेल प्रशासन द्वारा वंचित करने के संबंध में, आयोग को सूचित करते हुए न्याय की प्रार्थना की। आयोग ने पत्र दिनांक 11.07.2018 द्वारा उपरोक्त अभ्यावेदन को अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड तथा महाप्रबंधक, पूर्व रेलवे, कोलकाता को अग्रसारित करते हुए अनुरोध किया कि 30 दिन के अदंर तथ्यों सहित सूचना भेजे।

प्रकरण में आयोग के माननीय सदस्य श्री एच.के. डामोर की अध्यक्षता में दिनांक 15.02.2019 को समय 3:00 बजे सिंटिग आयोजित की गयी। सिंटिग में पूर्व रेलवे के अधिकारी तथा रेलवे बोर्ड के अधिकारी एवं अभ्यावेदक की पुत्री श्रीमती बियासी देवी उपस्थित हुई। सिंटिग में विचार–विमर्श के बाद माननीय सदस्य ने अनुांसा/सुझाव दिया की पूर्व रेलवे, इस मामले में रेल मंत्रालय के परिपत्र संख्या RBE NO. 70/2014 (NO. E(NG)-II/2014/RC-1/SCR/5 दिनांक 08.07.2014 को ध्यान में रखते हुए, सहानुभूतिपूर्वक विचार कर अनुकंपा आधार पर नियुक्ति प्रदान की जानी चाहिए। रेल प्रशासन को यदि अन्य प्रमाणपत्र चाहिए तो आवेदक को उपलब्ध कराये। पूर्व रेलवे इस प्रकरण पर की गई / की जाने वाली कार्यवाही से सिंटिग के कार्यवृत्त प्राप्त होने के एक महीने के अन्दर आयोग को सूचित करें।

आयोग ने समसंख्यक पत्र दिनांक 28.02.2019 द्वारा सिंटिग के कार्यवृत्त अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड तथा महाप्रबंधक पूर्व रेलवे कोलकाता को अग्रसारित करते हुए अनुरोध किया कि इस पत्र इस पत्र के प्राप्त होने के 30 दिन के अन्दर अनुांसाओं/सुझावों पर की गई/की जाने वाली कार्रवाई से सूचित करें। पूर्व रेलवे, कोलकाता ने पत्रांक E.220/1/1/RR/Rep/Commn./ST/Pt.II दिनांक 08.04.2019 तथा 26.06.2019 द्वारा प्रकरण में तथ्य तथा आख्या प्रस्तुत करते हुए बताया कि प्रकरण में जांच करायी गयी। जांच अधिकारी ने बताया कि श्रीमती सहोद्री देवी के

हर्षदभाई वसावा/Harshadbhai Vasava
सदस्य/Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

पास 05 Katah 05 dhoor land with one pucca room and other two tiled roof rooms है इसके अलावा उन्हें समझौता बकाया राशि 12,58,870 रुपये तथा पारिवारिक पेंशन 17,950 रुपये (Revised on 30/09/2017) + Dearness relief प्रत्येक महीने मिलता है एवं अन्य कारण बताये। अन्त में यह सूचित किया कि *"it is not feasible for the Administration to favorably consider this request of divorced daughter for appointment on Compassionate Ground in terms of Railway Circular No. RBE NO. 70/2014 (NO. E(NG)-II/2014/RC-1/SCR/5* दिनांक 08.07.2014 ।

आयोग ने पत्र दिनांक 03.09.2019 द्वारा पूर्व रेलवे के उपरोक्त पत्रों को अभ्यावेदक की संतुष्टि हेतु अग्रसारित किया। अभ्यावेदक ने प्रत्युत्तर दिनांक 02.10.2019 द्वारा पूर्व रेलवे द्वारा बताये गए कारणों को अस्वीकार करते हुए आयोग से न्याय की प्रार्थना की। माननीय सदस्य श्री एच.सी. वसावा ने प्रकरण में विचार–विमर्श हेतु दिनांक 19.11.2019 को अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड तथा महाप्रबंधक, पूर्व रेलवे एवं अभ्यावेदक के साथ सिंटिग आयोजित करने का निश्चिय किया। सिंटिग की सूचना आयोग के पत्र दिनांक 07.11.2019 द्वारा जारी की गयी। इस पत्र के साथ आवेदक का प्रत्युत्तर दिनांक 02.10.2019 भी अग्रसारित किया गया। सिंटिग में पूर्व रेलवे के पी.सी.पी.ओ. तथा आवेदक उपस्थित हुए। रेलवे बोर्ड से कोई भी अधिकारी उपस्थित नहीं हुआ।

माननीय सदस्य महोदय ने अभ्यावेदक से कहा कि वह अपनी समस्यायें एवं कठिनाईया बताए। श्रीमती बियासी देवी ने बताया कि श्रीमती सहोद्री देवी उपस्थित नहीं हो सकी। वह ही अपनी माँ की देखभाल करती है तथा शुरू से ही साथ में रह रही है। वह हमेशा अपनी माँ की देखभाल करेंगी एवं साथ रहेंगी क्योंकि उनका का भी कोई सहारा नहीं है। रेलवे प्रशासन से आए अधिकारियों से निवेदन है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्रदान करें मैं उनकी जिंदगी भर आभारी रहूंगी। जहां तक शैक्षिक योग्यता की बात है, नियुक्ति के बाद पूर्ण कर लूंगी।

माननीय सदस्य महोदय ने पूर्व रेलवे से आए अधिकारी से प्रकरण में की गयी/की जाने वाली कार्रवाई बताने को कहां। पूर्व रेलवे के प्रतिनिधि ने बताया कि आवेदक की तलाकशुदा पुत्री रेलवे नियम के अनुसार, अनुकंपा के आधार पर नौकरी पाने के पात्र नहीं है। जैसा कि पूर्व रेलवे ने अपने पत्रांक दिनांक 08.04.2019 एवं 26.06.2019 द्वारा आयोग को वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया है।

माननीय सदस्य ने विचार–विमर्श के बाद यह पाया कि पूर्व, रेलवे ने नियमों के द्वारा अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति न देने का कारण बताया है। परन्तु रेलवे द्वारा आर्थिक स्रोत जो मृतक की विधवा (श्रीमती सहोद्री देवी) को दिए जा रहे है, वह रेलवे के सेवा नियमों के अनुसार ही दिया जा रहा है। श्रीमती बियासी देवी के बारे में जो बताया गया है वह तर्कहीन लगता है क्योंकि रेलवे के *Circular No. RBE NO. 70/2014 (NO. E(NG)-II/2014/RC-1/SCR/5* दिनांक 08.07.2014 में शादीशुदा पुत्री को भी आश्रित माना गया है। श्रीमती सहोद्री देवी के कोई पुत्र नहीं है। श्रीमती बियासी देवी अपनी माँ (श्रीमती सहोद्री देवी) की एक मात्र सहारा है और आश्वस्त कर रही है कि वह हमेशा देखभाल करेगी। अतः श्रीमती बियासी देवी अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की पात्रता रखती है।

हर्षदभाई वसावा/Harshadbhai Vasava
सदस्य/Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

पूर्व, रेलवे, कोलकाता के प्रतिनिधि एवं अभ्यावेदक के साथ विस्तृत विचार–विमर्श के बाद, माननीय सदस्य ने यह अनुशंसा एवं सुझाव दिया कि पूर्व रेलवे एक बार पुनः श्रीमती सहोद्री देवी (स्व0 चंद्रामण्डल की विधवा) एवं श्रीमती बियासी देवी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सहानुभुतिपूर्वक उपयुक्त नियुक्ति हेतु परीक्षण करे। यदि रेलवे प्रशासन द्वारा नियुक्ति प्रदान की जाती है तो यह मानवता के रूप में एक महत्वपूर्ण एवं सराहनीय कार्य होगा। श्रीमती बियासी देवी को सुझाव दिया जाता है कि वह नियुक्ति के उपरांत एक निश्चित समय के अन्दर अपनी शैक्षिक योग्यता पूर्ण करे।

****

हर्षदभाई वसावा/Harshadbhai Vasava
सदस्य/Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

परिशिष्ट

भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

फाईल संख्या SD/6/2018/MRLY1/SEOTH/RU-I

श्रीमती सहोद्री देवी पत्नी स्व0 चन्द्रामण्डल (भूतपूर्व कुक/स्टेशन प्रबंधक, साहेबगंज), ग्राम केलावाड़ी, पोखरिया, पोस्ट एवं जिला साहेबगंज (झारखण्ड) द्वारा अपनी तलाकशुदा बेटी बियासी देवी को अनुकंपा के आधार पर नौकरी से रेल प्रशासन द्वारा वंचित करने के संबंध में, माननीय सदस्य श्री एच.सी. वसावा की अध्यक्षता में दिनांक 19.11.2019 को 2:00 बजे आयोजित बैठक में प्रतिभागियों की सूची।

I राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

1. श्री एच. सी. वसावा (अध्यक्षता में)
माननीय सदस्य

2. डॉ0 ललित लट्टा
निदेशक

3. श्री आर. एस. मिश्रा
वरिष्ठ अन्वेषक

4. श्री मनोज मिश्रा
माननीय सदस्य के निजी सचिव

II **अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली**
–शून्य–

III **महाप्रबंधक, पूर्व रेलवे, कोलकाता**

1. श्रीमती अरूणा नायर, पी.सी.पी.ओ.

2. श्री धानू हंसदा

IV **याचिकाकर्ता**

1. श्रीमती बियासी देवी